प्रेस विज्ञप्ति / Press Release **December 24,2021**

सिडबी का पश्चिम बंगाल सरकार के साथ
राज्य में एमएसएमई पारितंत्र के विकास हेतु गठबंधन
SIDBI joins hands with Government of West Bengal for the Development of MSME Ecosystem in the State

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास में संलग्न शीर्ष वित्तीय संस्थान, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने पश्चिम बंगाल सरकार के साथ राज्य में एमएसएमई पारितंत्र विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन निष्पादित किया है। समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान, डॉ. हरि कृष्ण द्विवेदी, मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार की उपस्थिति में श्री सुदत्त मंडल, उप प्रबंध निदेशक, सिडबी और श्री राजेश पांडे, प्रमुख सचिव, एमएसएमई और वस्त्रोद्योग ने किया।

Small Industries Development Bank of India (SIDBI), the country's principal financial institution engaged in the promotion, financing and development of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), has entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with the Government of West Bengal (GoWB) to develop the MSME ecosystem in the State. The MoU was exchanged by Shri Sudatta Mandal, Deputy Managing Director, SIDBI and Shri Rajesh Pandey, Principal Secretary, MSME & Textile, Government of West Bengal in the presence of Dr. Hari Krishna Dwivedi, Chief Secretary, Government of West Bengal.

समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सिडबी द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार के साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) स्थापित की जाएगी। पीएमयू एमएसएमई पारितंत्र के विकास को सुकर बनाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल राज्य के साथ सिडबी के लक्ष्य-केंद्रित जुड़ाव के लिए आवश्यक अंतरवर्तन करने में सरकार का समर्थन करेगा। पीएमयू के प्रमुख कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे:

Under the MoU, a Project Management Unit (PMU) will be deployed by SIDBI with GoWB. The PMU will support the GoWB in making necessary interventions for focused engagement of SIDBI with the State of West Bengal with the objective of facilitating development of the MSME ecosystem. The key functions of the PMU shall include the following:

a) मौजूदा ढांचे का अध्ययन और एमएसएमई के लिए क्लस्टर/क्षेत्र विशिष्ट उत्पादों/अंतरवर्तनों के लिए हितधारकों का मार्गदर्शन करना। / Study of existing framework and guide stakeholders for cluster / sector specific products / interventions for MSMEs.
b) एमएसएमई को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए निधीयन, विपणन और सूचीकरण के द्वारा पथप्रदर्शन। / Handholding MSMEs for onboarding on digital platforms for funding, marketing and listing.

c) एमएसएमई क्लस्टर हेतु बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के दायरे का मूल्यांकन। / Evaluating scope of infrastructure projects for MSME Clusters.

d) एमएसएमई को बैंकों से संपार्श्विक मुक्त ऋण प्राप्त करने और केंद्र/राज्य सरकारों से प्रोत्साहन प्राप्त में मदद करना, / Facilitating MSMEs in getting collateral free loans from banks, incentives from Central / State Governments.

e) एमएसएमई और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं को शुरू करने के लिए सिडबी, राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय करना। / Co-ordinating with SIDBI, State Government and other Agencies for roll out of various schemes for MSMEs and infrastructure development.

f) एमएसएमई के लिए आवश्यकता-आधारित योजनाओं/ उत्पादों/ हस्तक्षेपों को डिजाइन/ विकसित करना। / Designing / developing need-based schemes / products / interventions for MSMEs.

g) एमएसएमई के लिए पहल करने के लिए राज्य सरकार को तकनीकी/ परामर्शी समर्थन प्रदान करना। / Providing technical / consultative support to State Government for initiatives for MSMEs.

h) राज्य में सिडबी द्वारा नियोजित कार्यक्रमों/ कार्यक्रमों के आयोजन/ पर्यवेक्षण में सहायता प्रदान करना। / Providing support in organizing / supervising programmes / events planned by SIDBI in the state.

i) राज्य में सिडबी क्लस्टर विकास कोष (एससीडीएफ) योजना के कार्यान्वयन को सुगम बनाना। / Facilitating in implementation of SIDBI Cluster Development Fund (SCDF) scheme in the state.

j) बाजार की सर्वोत्तम प्रथाओं के भंडार का मानचित्रण और इन प्रथाओं को अपनाने में मदद करना । / Mapping of repository of market best practices and help in adoption of these practices.

k) एमएसएमई के लिए नीतिगत हिमायत आदि / Policy Advocacy for MSMEs, etc.

इस अवसर पर श्री सुदत्त मंडल, उप प्रबंध निदेशक, सिडबी ने कहा, "हम राज्यों में एमएसएमई पारितंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। सिडबी राज्य के एमएसएमई विभाग के साथ एक विशेषज्ञ एजेंसी रखेगा।"

On this occasion, Shri Sudatta Mandal, Deputy Managing Director, SIDBI said, "We are working towards strengthening the MSME eco system in the States. SIDBI would be placing an expert agency with the State MSME Department."

डॉ. हरि कृष्ण द्विवेदी, मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि यह समझौता ज्ञापन पश्चिम बंगाल राज्य में एमएसएमई के लिए फायदेमंद होगा और वे राज्य में एमएसएमई समूहों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सिडबी के साथ काम करने की उम्मीद करते हैं।

Dr. Hari Krishna Dwivedi, Chief Secretary, Government of West Bengal stated that this MoU would be beneficial to the MSMEs in the State of West Bengal and is looking forward to work with SIDBI for MSME clusters and infrastructure development in the State.

पश्चिम बंगाल सरकार के प्रधान सचिव श्री राजेश पांडे ने कहा कि "यह समझौता ज्ञापन एमएसएमई पारितंत्र के विकास के लिए राज्य के प्रयासों का समर्थन करने में मददगार होगा।"

Shri Rajesh Pandey, Principal Secretary to the Government of West Bengal said that “This MoU would help in supporting the efforts of the State for development of the MSME Ecosystem.”

एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान श्री मनोज पंत, प्रमुख सचिव, वित्त, श्री मेघनाद डे, विशेष सचिव, एमएसएमई और कपड़ा विभाग, श्री यू स्वरूप, निदेशक, एमएसएमई, श्री निखिल निर्मल, एमडी, डब्ल्यूबीएसआईडीसीएल भी उपस्थित थे।

Shri Manoj Pant, Principal Secretary, Finance, Shri Meghnad De, Special Secretary, MSME & Textile Department, Shri U Swaroop, Director, MSME, Shri Nikhil Nirmal, MD, WBSIDCL, were also present during the MoU signing.

सिड्बी के बारे में: 1990 में अपने गठन के बाद से सिडबी अपने एकीकृत, अभिनव और समावेशी दृष्टिकोण के माध्यम से समाज के विभिन्न स्तरों पर नागरिकों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। सिडबी ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न ऋण और विकासात्मक उपायों के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमियों (एमएसई) के जीवन को छुआ है, चाहे ये पारंपरिक व घरेलू छोटे उद्यमी हों; उद्यमिता पिरामिड के निम्नतम स्तर के उद्यमी हों अथवा उच्चतम स्तर के ज्ञान-आधारित उद्यमी हों। सिडबी 2.0 अपने साथ समावेशी, अभिनव और प्रभाव-उन्मुख संबद्धताओं की दृष्टि को लेकर चल रहा है।

About SIDBI: Since its formation in 1990, SIDBI has been impacting the lives of citizens across various strata of the society through its integrated, innovative and inclusive approach. Be it traditional, domestic small entrepreneurs, bottom-of-the-pyramid entrepreneurs, to high-end knowledge-based entrepreneurs, SIDBI has directly or indirectly touched the lives of Micro and Small Enterprises (MSEs) through various credit and developmental engagements. SIDBI 2.0 carries the vision of inclusive, innovative and impact-oriented engagements.

अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट https://www.sidbi.in पर जाएँ।

To know more, check out: https://www.sidbi.in